

Registration no: ( 220127820218321541028 ) Date: ( 03-08-2021 ) Valid till: ( 3-8-2024 )



बिहार सरकार

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय | VAISHALI  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0

शिक्षा क्षेत्र - 2 कम्युनिटी सेंटर 0

देली पब्लिक स्कूल कार्णपुरा बाजीपुर

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूचीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक: 03-08-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय DELHI PUBLIC SCHOOL, Vill-Karnpura, Gardaniya Chowk, Next to Vaishali Gate, Karnpura, 844102. कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 03-08-2021 से 3-8-2024 अवधि के लिए औपबधिक प्रसूचीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसूचीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसूचीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुसूचक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, ये 5 ब के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(Viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नरूपः

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 700

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 700

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- SWING, MERRY GO ROUND, FIELD, LADDER BRIDGE,

(iv) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 12

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 4

(Vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 20 , Girls 20

(Vii) पेयजल की सुविधा :- 3

(Viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(IX) वाधारहित पहुँच, [ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय पुस्तकालय :- List of Teaching Learning Material 1 Textbooks 2 Pamphlets 3 Study Guide 4 Manuals 5 cassetts 6 Microphone 7 Charts 8 Real Objects 9 Photographs 10 Transparencies 11 Television 12 Video 13 Multimedia 14 , Apparatus for Games Outdoor Games SI.No Name of Games Appratus 1 Volley Ball 1 Two Balls 2 Two Net 2 Basket Ball 1 Two Balls 2 two Net 3 Foot Ball 1 Three Ball 2 Two Net 4 Badminton 1 Twelve Racket , ( Y , 414 , NewsPaper MagaZine:- 20 )

1. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

2. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

3. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत चालित किसी लोक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा।

4. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

5. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।


6. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [ 220127820218321541028, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को क पत्र त एवं उद्धृत किया जाए।

7. नेदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों नुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

8. दि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

9. नुलप्रक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें



  
विशाल भाषन  
हो।-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, VAISHALI  
सह-सचिव प्रस्वीकृत समिति  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार